मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं)
मध्यप्रदेश

कमांक 4/कार्या.स्था./सेल –2/2018/ 1850 **भोपाल, दिनांक** 25.9.2018

प्रति,

1. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।**
2. **समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।**

विषय :– प्री.पी.जी. चिकित्सा अधिकारियों के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं एम्पलाई कोड के संबंध में।

— 0 —

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके कार्यालय में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु कार्यमुक्त किया जाता है लेकिन उनके अंतिम वेतन प्रमाण पत्र समय पर जारी नहीं किये जा रहे है। साथ ही उनके एम्पलाई कोड को आई. एफ.एम.आई.एस. में रिलीव नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उन चिकित्सा अधिकारियों को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी ऐसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आयुक्त महोदया को चिकित्सा अधिकारियों के विगत 04 माहों से वेतन भुगतान न होने से अवगत कराते हुये वेतन भुगतान करवाने हेतु अनुरोध किया है।

उपरोक्त के संबंध में आपको निदेर्शित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु कार्यमुक्त करते ही अंतिम वेतन प्रमाण पत्र संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को भेजें एवं साथ ही उनके एम्पलाई कोड को आई.एफ.एम. आई.एस. मे संचालनालय के डी.डी.ओ. कोड 0521704002 में रिलीव करना सुनिश्चित करें।

25/9/18

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र., भोपाल

पृ.कमांक 4/कार्या.स्था./सेल –2/2018/ **भोपाल, दिनांक**

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
2. अपर संचालक, (वित्त) स्थानीय कार्यालय।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
म.प्र., भोपाल

C:\USERS\DDO DHS\DESKTOP\DHS-AO 18.01.2018\LETTER.DOCX